

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी

प्रलिस के लिये:

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी, रबी और खरीफ मौसम, उर्वरक, **DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट)**, कालाबाजारी

मेन्स के लिये:

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी का महत्त्व और चुनौतियाँ, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे

स्रोत: [पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सत्र 2022-23 के लिये [रबी और खरीफ मौसमों](#) के विभिन्न पोषक तत्त्वों के लिये [पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी \(NBS\)](#) दरों को मंजूरी दे दी है।

- **रबी मौसम 2022-23 के लिये:** NBS को विभिन्न पोषक तत्त्वों अर्थात् नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटैश (K) और सल्फर (S) के लिये मंजूरी दी गई है।
- **खरीफ मौसम 2022-23 के लिये:** फॉस्फेटिक और पोटैश (P&K) उर्वरकों के लिये NBS दरें अनुमोदित।

पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) व्यवस्था:

परिचय:

- NBS इस व्यवस्था के तहत किसानों को इन उर्वरकों में नहिलि **पोषक तत्त्वों (N, P, K और S)** के आधार पर रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इसके अलावा जो उर्वरक **मॉलबिडेनम (Mo)** और **जकि** जैसे **माध्यमिक एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों** से समृद्ध होते हैं, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।
- **P&K** उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर प्रत्येक पोषक तत्त्व के लिये **प्रतिकिलोग्राम के आधार पर** की जाती है, जो कि **P&K उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतों, वनिमिय दर**, देश में इन्वेंट्री स्तर आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।
- NBS नीति का उद्देश्य **P&K उर्वरकों की खपत** को बढ़ाना है ताकि NPK उर्वरक के बीच इष्टतम संतुलन (**N:P:K= 4:2:1**) हासिल किया जा सके।
 - इससे **मृदा के स्वास्थ्य में सुधार** होगा और परणामस्वरूप फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जिससे **किसानों की आय में वृद्धि** होगी।
 - साथ ही, चूँकि **सरकार उर्वरकों के तर्कसंगत उपयोग की उम्मीद करती है**, इससे **उर्वरक सब्सिडी का बोझ भी कम** हो जाएगा।
- इसे **रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से कार्यान्वित** किया जा रहा है।



पोषक तत्व आधारित सब्सीडी (NBS) योजना



उर्वरक में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कृषि उपज में वृद्धि करते हैं:

पोषक तत्व	मुख्य स्रोत
नाइट्रोजन (N)	यूरिया
फॉस्फोरस (P)	DAP
पोटैशियम (K)	MOP

इष्टतम N:P:K अनुपात मृदा के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है किंतु सामान्यतः यह लगभग 4:2:1 के अनुपात होता है।

परिचय:

- इसका कार्यान्वयन वर्ष 2010 से किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- इष्टतम NPK अनुपात (4: 2: 1) की प्राप्ति हेतु P एवं K उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना।

कार्यान्वयन:

- उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

योजना का महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सब्सीडी की एक निश्चित दर (₹ प्रति किलोग्राम) वार्षिक आधार पर तय की जाती है।
- यह सब्सिडी पोषक तत्वों: नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर पर दी जाती है।
- फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (P-K) उर्वरकों के लिये दी जाती है।
- इसमें यूरिया आधारित उर्वरक शामिल नहीं हैं।
- NBS अमोनियम सल्फेट को छोड़कर अन्य आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिये उपलब्ध है।

भारत में उर्वरक:

- 3 मूलभूत उर्वरक: यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP)
- यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला, सर्वाधिक आयातित और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है।
- यूरिया पर केवल कृषि उपयोग के लिये सब्सिडी दी जाती है।

■ महत्त्व:

- सब्सीडीयुक्त P&K उर्वरकों की उपलब्धता से खरीफ मौसम के दौरान किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर DAP (डाइअमोनियम फॉस्फेट और अन्य P&K उर्वरक) की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह भारत में कृषि उत्पादकता तथा खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिये आवश्यक है।
- NBS सब्सिडी प्रभावी संसाधन आवंटन के लिये प्रमुख है तथा यह सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी उत्पन्न किसानों को दी जाए जिनमें कुशल और सतत कृषिपद्धतियों को बढ़ावा देने की सबसे अधिक आवश्यकता है।

NBS से संबंधित मुद्दे:

■ आर्थिक और पर्यावरणीय लागत:

- NBS नीति सहित उर्वरक सब्सिडी, अर्थव्यवस्था पर एक **बड़ा वित्तीय बोझ** डालती है। यह खाद्य सब्सिडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है, जो राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव डालती है।
- इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण असमानता के कारण असंतुलित उर्वरक उपयोग के प्रतिकूल **पर्यावरणीय परिणाम** होते हैं, जैसे कि मृदा क्षरण एवं पोषक तत्वों का अपवाह, दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को प्रभावित करता है।

■ ब्लैक मार्केटिंग और डायवर्जन:

- रियायती दर पर मलिनने वाला यूरिया कालाबाज़ारी और डायवर्जन के प्रति अतिसिंवेदनशील है। इसे कभी-कभी अवैध रूप से थोक करेताओं, व्यापारियों या गैर-कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे- प्लाईवुड व पशु आहार निर्माताओं को बेचा जाता है।
- इसके अलावा बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में रियायती दर पर मलिनने वाले यूरिया की तस्करी के उदाहरण हैं जसिसे घरेलू कृषि उपयोग के लिये रियायती दर पर मलिनने वाले उर्वरकों की हानि होती है।

■ रिसाव और दुरुपयोग:

- NBS पद्धति यह सुनिश्चित करने हेतु कुशल वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है कि सब्सिडी वाले उर्वरक लक्षित लाभार्थियों यानी किसानों तक पहुँचें।
- हालाँकि रिसाव और दुरुपयोग के मामले सामने आ सकते हैं, जसिसे कारण सब्सिडी वाले उर्वरक किसानों तक नहीं पहुँच पाते हैं या कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में उपयोग किये जाते हैं। यह सब्सिडी की प्रभावशीलता को कम करता है और वास्तव में किसानों को सस्ती उर्वरकों तक पहुँच से वंचित करता है।

■ क्षेत्रीय असमानताएँ:

- देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पद्धतियाँ, मृदा की स्थिति और फसल की पोषक आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।
- एक समान NBS व्यवस्था को लागू करने से विशिष्ट आवश्यकताओं और क्षेत्रीय विशेषताओं को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया जा सकता है, संभावित रूप से उप-इष्टतम पोषक तत्त्व अनुप्रयोग एवं उत्पादकता जैसी भिन्नताएँ हो सकती हैं।

आगे की राह

- सभी उर्वरकों हेतु एक समान नीति आवश्यक है, क्योंकि फसल की पैदावार और गुणवत्ता के लिये नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) एवं पोटेशियम (K) महत्त्वपूर्ण हैं।
- लंबी अवधि में NBS को फ्लैट प्रति एकड़ नकद सब्सिडी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो किसानों को किसी भी उर्वरक को खरीदने की अनुमति देता है।
- इस सब्सिडी में मूल्य वर्द्धति और अनुकूलित उत्पाद शामिल होने चाहिये जो कुशल नाइट्रोजन वितरण एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं।
- NBS व्यवस्था के वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु मूल्य नियंत्रण, सामर्थ्य और टिकाऊ पोषक तत्त्व प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

प्रमुख शस्य मौसम:

खरीफ फसल	रबी फसल
जो फसलें दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती हैं, उन्हें खरीफ या मानसूनी फसलें कहा जाता है।	इन फसलों को मानसून के पुनरागमन और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के आसपास बोया जाता है, जिनकी बुवाई अक्टूबर में शुरू होती है तथा इन्हें रबी या सर्दियों की फसलें कहा जाता है।
खरीफ फसलों की बुवाई मानसून के दौरान जून से अक्टूबर तक की जाती है और देर से गर्मियों या शरद मौसम की शुरुआत में काटा जाता है।	इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई के दौरान होती है।
ये फसलें वर्षा के प्रतिरूप पर निर्भर करती हैं।	इन फसलों पर वर्षा का ज़्यादा असर नहीं होता है।
प्रमुख खरीफ फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, मूँगफली और दालें जैसे- अरहर और हरा चना शामिल हैं।	प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि हैं।
इसे उगाने के लिये बहुत अधिक जल और ऊष्ण मौसम की आवश्यकता होती है।	बीज के अंकुरण के लिये गर्म जलवायु और फसलों की वृद्धि के लिये ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है।
जायद फसलें:	
<ul style="list-style-type: none"> ● बुआई और कटाई: मार्च-जुलाई (रबी और खरीफ के बीच)। ● महत्त्वपूर्ण जायद फसलों में शामिल हैं: मौसमी फल, सब्जियाँ, चारा फसलें आदि। 	

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में पछिले पाँच वर्षों में खरीफ फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. चावल की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है।
2. ज्वार की खेती के तहत क्षेत्रफल तलिन की तुलना में अधिक है।
3. कपास की खेती का क्षेत्रफल गन्ने के क्षेत्रफल से अधिक है।
4. गन्ने की खेती के क्षेत्रफल में लगातार कमी आई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. नमिनलखिति फसलॉ पर वचिर कीजयि: (2013)

1. कपास
2. मूंगफली
3. चावल
4. गेहूँ

उपरयुक्त में से कौन-सी खरीफ फसलें हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: C

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nutrient-based-subsidy-4>

